

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

:—सेवानिवृति आदेश—:

राजस्थान शिक्षा सेवा (स्कूल शिक्षा) के निम्नांकित संलग्न सूची में उल्लेखित व्याख्याताओं का सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28.12.1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 एवं प.12 (6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके/सम्बन्धित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित (कॉलम संख्या-7 में अंकितानुसार) सेवानिवृति-तिथि से, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है—

S N	SUBJECT	NAME	POSTING PALACE	DISST.	D.O.B. (DD/MM/YY)	DATE OF RETIREMENT (DD/MM/YY)
1	2	3	4	5	6	7
1	Economics (Arts Stream)	SHANTI LAL SHARMA	GSSS BAVLAS (224027) RASHMI	CHITTAURGARH	04.07.1961	31.07.2021
2	Economics (Arts Stream)	MOOL CHAND VERMA	GSSS SAIWAD (218661) JAMWA RAMGARH	JAIPUR	01.09.1961	31.08.2021
3	Economics (Arts Stream)	MADHU	GSSS CHHOTI KHATU (219825) DEEDWANA	NAGPUR	11.09.1961	30.09.2021
4	Economics (Arts Stream)	GHANSHYAM PRASAD VYAS	GSSS RAWALIYA KHURD (214875) GOGUNDA	UDAIPUR	08.08.1961	31.08.2021

उक्त उल्लेखित व्याख्याता के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक —

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 20/07/2021

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृति/2020-21/158

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित—:

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवानिवृत्त होने वाले प्राध्यापक से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लायें।
6. संबंधित कार्मिक.....
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान